

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण, बिहार।

पटना, दिनांक- 11/01/17

विषय:- “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” के लिए तैयार किये गये संशोधित मॉडल प्राकलन एवं मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-8178, दिनांक-08.11.2016 एवं पत्रांक-7932, दिनांक-27.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा “मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना” अंतर्गत हर घर में नल का जल उपलब्ध कराने हेतु मॉडल प्राकलन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया था।

2. शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों एवं में हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के सभी क्षेत्रों में उक्त योजना के क्रियान्वयन में एकरूपता लाने के लिए उक्त मॉडल प्राकलन में कतिपय संशोधन किया गया है। संशोधित मॉडल प्राकलन कुल 08 श्रेणियों में यथा- गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता रहित क्षेत्रों के 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों के लिए अलग-अलग मॉडल प्राकलन तैयार किये गये हैं। तदनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका में भी संशोधन किया गया है।

3. संशोधित मॉडल प्राकलन एवं मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाइट पर ‘Model Estimate’ एवं ‘Mukhyamantri Nischay Yojana’ के लिंक पर अपलोड किया जा चुका है, जिसे www.udhdbiharcontacts.s.i:/model_estimates/ एवं www.udhdbiharcontacts.in/nischay/model_estimates.html लिंक के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि संशोधित मॉडल प्राकलन एवं मार्गदर्शिका का प्रिंट आउट लेने के उपरांत शीघ्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

10/1/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-02ब०/जला०-01-118/2016 123 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 11/01/17

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

10/1/17

सरकार के प्रधान सचिव।